कार्यालय–जनपद न्यायाधीश,ललितपुर।

पत्रांक 10 /नीलामी /नजारत दिनांक 24 फरवरी 2020

नीलामी सूचना

जनपद न्यायालय,ललितपुर में अभिलेखागार के पीछे आवासीय एवं अनावासीय भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर खडे गोल्डमोहर, बबूल, अकेसिया, गूलर, जंगल जलेबी, अरू/नल, बेरी, सिरस, पैण्ट्राफार्म,यूकेलिप्टस, सागौन, सेमल, शीशम,कसई, सू बबूल, पेंडो जिसका विस्तृत विवरण कार्यालय प्रभागीय निदेशक , सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर के पत्रांक 2395/37–1 दिनांक 10 फरवरी 2020 में अंकित है, की नीलामी दिनांक 05.3.2020 को शायं 4 बजे जनपद न्यायालय , ललितपुर में सभागार में नियत की जाती है ,नीलाम किये जाने वाले पेडों को किसी भी कार्य दिवस में 2.00 बजे से 4.00 बजे के मध्य केन्द्रीय नाजिर से सम्पर्क करके देखा जा सकता है । नीलामी की शर्ते निम्नवत है:–

नियम व शर्ते :–

1. जी0एस0टी0 पंजीकृत ब्यक्ति ही नीलामी में भाग ले सकेगा , जी0एस0टी0 धारक के प्रतिनिधि अथवा अन्य ब्यक्ति को बोली में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा । नीलामी में भाग लेने से पूर्व सुरक्षा राशि ,पहिचान पत्र व जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति दाखिल करनी होगी ।

2. नीलाम केता को नीलाम शुदा पेडों में से सूबबूल के पेडों को काटने के उपरान्त उसकी जडें भी हटानी होगी । ऐसा न करने पर जडें आदि निकालने में हुए ब्यय की भरपायी सुरक्षा राशि से की जायेगी ।

03. नीलाम केता को जी0एस0टी0 एवं अन्य राज्य कर की अदायगी स्वयं करनी होगी ।

04. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक ब्यक्ति को नीलामी के दिन अर्थात 05.3.2020 को शायं 4 बजे तक सुरक्षा राशि के रूप में मु0 5,000/–रूपया नकद कैशियर के पास जमां करना होगा , अंतिम बोलीदाता की नीलामी स्वीकृति उपरान्त नीलाम किये गये पेडों को काटने एवं अन्तिम निस्तारण तक अर्थात जी0एस0टी0 भुगतान का चालान प्रस्तुत करने तक सुरक्षा राशि जमां रहेंगी ।

05. नीलाम कर्ता को स्वीकृत नीलामी राशि का पूर्ण भाग अन्तिम बोली होने पर तुरन्त जमां करना होगा।,ऐसा करने में असफल रहने पर सुरक्षा राशि राज्य के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी ।

06. नीलामी पश्चात अभिबहन शुल्क 1064/–,जमानत 10800/–,अनुमति शुल्क 8300/–, व रजिस्ट्रेशन शुल्क 75/–कुल 20239/–(बीस हजार दो सौ उन्तालिस) प्रभागीय निदेशक , सामाजिक वानिकी प्रभाग , ललितपुर के कार्यालय में जमा करने के उपरान्त काटने की अनुमति सहित जमां मूल रसीद प्रस्तुत करने पर ही इस कार्यालय द्वारा काटने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

07. वृक्षो को काटने से न्यायालय की अन्य सम्पत्ति जैसे भवन , बाउन्ड्रीवाल एवं विद्युत तार को कोई नुकसान नहीं होगा । काटनें में अन्य सम्पत्ति का नुकसान होने पर उसकी भरपायी नीलाम केता को करनी होगी , इस सम्बन्ध में एक शपथपत्र पेंडों को काटने से पूर्व कार्यालय में दाखिल करना होगा।

08. नीलाम केता को कटान एवं उठान सम्बन्धी समस्त औपचारिकताये स्वयं पूर्ण करनी होगी।

09. नीलाम शुदा पेंडों को नीलामी स्वीकृत होने के उपरान्त अन्दर दस दिवस न्यायालय परिसर से काटकर ले जाना होगा , ऐसा करने में असफल रहने पर धरोहर राशि राज्य के पक्ष में जब्त कर पुनः नीलाम की जावेगी ।

10. नीलामी को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार मा0 जनपद न्यायाधीश ललितपुर को होगा।

(जगदीश कुमार)
अध्यक्ष , नीलाम समिति/
अपर जिला जज (S.C./S.T.Act),
ललितपुर ।

प्रतिलिपि : – निम्नलिखित को सूचनार्थ, प्रकाशार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु :–

1. नाजिर सदर, कार्यालय जिलाधिकारी, ललितपुर।

2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, ललितपुर।

3.जिला सूचना अधिकारी ललितपुर को शासनादेश संख्या 562/उन्तीस–2–2007–1007/74(टी0सी0)सूचना अनुभाग –2 लखनऊ दिनांकित 4 जुलाई 2007 अनुसार दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

4. सिस्टम आफीसर, कम्प्यूटर अनुभाग जनपद न्यायालय,ललितपुर को जनपद न्यायालय, ललितपुर एवं उच्च न्यायालय , इलाहाबाद की वेवसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

5. सहायक नाजिर जनपद न्यायालय,ललितपुर ।

अध्यक्ष ,नीलाम समिति /
अपर जिला जज (S.C./S.T.Act),
ललितपुर ।